This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार, 15 फरवरी, 2019 / 26 माघ, 1940

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA -171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 24th January, 2019

No. HHC/Estt.3(247)/86-II.—07 days leave *i.e.* 01 day's earned leave for 30-12-2018 and 06 days commuted leave with effect from 31-12-2018 to 05-01-2019, with permission to suffix Sunday on 06-01-2019 is hereby sanctioned, *ex-post-facto,* in favour of Shri Hitesh Sharma, Court Master of this Registry.

Certified that Shri Hitesh Sharma has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Hitesh Sharma would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA -171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 23rd January, 2019

No. HHC/Estt.3(506)/2000-I.—02 days commuted leave *i.e.* for 26-12-2018 and 27-12-2018, with permission to prefix Gazetted Holiday on 25-12-2018 is hereby sanctioned, *ex-post-facto,* in favour of Shri Subhash Chauhan, Assistant Registrar of this Registry.

Certified that Shri Subhash Chauhan has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Subhash Chauhan would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar but for his proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA -171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 24th January, 2019

No. HHC/Admn.3(263)/88-I.—04 days commuted leave on and with effect from 19-12-2018 to 22-12-2018, with permission to suffix Sunday on 23-12-2018 is hereby sanctioned, *ex-post-facto,* in favour of Smt. Neelam Sharma, Court Master of this Registry.

Certified that Smt. Neelam Sharma has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Neelam Sharma would have continued to officiate the same post of Court Master but for her proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA -171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 23rd January, 2019

No. HHC/Admn.3(170)/81-III.—02 days earned leave *i.e.* for 20-12-2018 and 21-12-2018 is hereby sanctioned, *ex-post-facto,* in favour of Shri Surinder Punn, Assistant Registrar of this Registry.

Certified that Shri Surinder Punn has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Surinder Punn would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar but for his proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–4, 13 फरवरी, 2019

संख्या वि0स0–विधायन–विधेयक / 1-8 / 2019.–हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2019 (2019 को विधेयक संख्यांक 6) जोकि आज दिनांक 13 फरवरी, 2019 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित / –
(यशपाल),
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

2019 का विधेयक संख्यांक 6

हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2019

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

कतिपय विनियोग अधिनियमों का निरसन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम.**––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) अधिनियम, 2019 है।

2. **कतिपय विनियोग अधिनियमों का निरसन.**––अनुसूची में विनिर्दिष्ट विनियोग अधिनियमों का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

3. **व्यावृत्तियाँ.**––इस अधिनियम द्वारा किसी भी अधिनियमिति,–

(क) का निरसन किसी अन्य ऐसी अधिनियमितियों को प्रभावित नहीं करेगा जिसमें निरसित अधिनियमिति को लागू, सम्मिलित या निर्दिष्ट किया गया है; या

(ख) के निरसन से पहले की गई या हुई किसी बात या पहले से अर्जित या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व अथवा उसके विषय में किसी उपचार या कार्यवाही या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या माँग से कोई निर्मोचन या उन्मोचन या पहले ही अनुदत्त किसी क्षतिपूर्ति या किसी पूर्व कार्य या बात के सबूत की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, उसके प्रभाव या परिणामों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा; या

(ग) के निरसन का प्रभाव विधि के किसी सिद्धान्त या नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन के प्ररूप या अनुक्रम, पद्धति या प्रक्रिया या विद्यमान विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति पर नहीं पड़ेगा, भले ही वह, यथास्थिति, इसके द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा उसमें या उससे किसी रीति से पुष्ट, मान्य या व्युतपन्न क्यों न हो; या

(घ) के निरसन का प्रभाव संपरीक्षा, परीक्षण, लेखा, अन्वेषण, जांच या उससे सम्बन्धित किसी प्राधिकारी द्वारा की गई या की जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर नहीं पड़ेगा और ऐसी संपरीक्षा, परीक्षण, लेखा, अन्वेषण, जांच या कार्रवाई की जा सकती है, और, या जारी रखी जा सकती है, मानो उक्त अधिनियमितियां इस अधिनियम द्वारा निरसित ही न की गई हों।

अनुसूची

(धारा 2 देखें)

वर्ष	संक्षिप्त नाम
1	2
1952	हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1952 (1952 का 1)
1952	हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1952 (1952 का 2)
1952	हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1952 (अनुपूरक अनुदान) (1952 का 5)
1953	हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1953 (1953 का 7)
1953	हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1953 (1953 का 8)
1954	हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1953 (अनुपूरक अनुदान) (1954 का 1)
1954	हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1954 (1954 का 3)
1954	हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1954 (1954 का 4)
1954	हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1954 (1954 का 13)
1955	हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1955 (1955 का 4)
1955	हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1955 (1955 का 5)
1955	हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1955 (1955 का 9)
1956	हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1956 (1956 का 8)

1956 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1956 (1956 का 4)

1956 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1956 (1956 का 5)

1956 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1956 (1956 का 14)

1963 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1963 (1963 का 1)

1964 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1964 (1964 का 3)

1964 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1964 (1964 का 5)

1965 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1965 (1965 का 1)

1965 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1965 (1965 का 3)

1965 हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1965 (1965 का 2)

1965 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1965 (1965 का 4)

1966 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1966 (1966 का 1)

1966 हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1966 (1966 का 2)

1966 हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1966 (1966 का 3)

1966 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1966 (1966 का 9)

1967 हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1967 (1967 का 1)

1967 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1967 (1967 का 2)

1967 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1967 (1967 का 3)

1967 हिमाचल प्रदेश विनियोग (अधिक व्यय) अधिनियम, 1967 (1967 का 4)

1968 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1968 (1968 का 1)

1968 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1968 (1968 का 2)

1968 हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1968 (1968 का 3)

1968 हिमाचल प्रदेश विनियोग (अधिक व्यय) अधिनियम, 1968 (1968 का 5)

1968 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1968 (1968 का 6)

1969 हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1969 (1969 का 9)

1969 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1969 (1969 का 10)

1969 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1969 (1969 का 11)

1969 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1969 (1969 का 14)

1970 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1970 (1970 का 14)

1970 हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1970 (1970 का 12)

1970 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1970 (1970 का 15)

1971 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1971 (1971 का 10)

1971 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1971 (1971 का 11)

1971 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1971 (1971 का 17)

1972 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1972 (1972 का 1)

1972 हिमाचल प्रदेश विनियोग लेखानुदान अधिनियम, 1972 (1972 का 2)

1972 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1972 (1972 का 13)

1973 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1972 (1973 का 1)

1973 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1973 (1973 का 8)

1973 हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1973 (1973 का 9)

1973 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1973 (1973 का 10)

1974 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1974 (1974 का 12)

1974 हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1974 (1974 का 11)

1974 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1974 (1974 का 13)

1975 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1975 (1975 का 4)

1975 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1975 (1975 का 5)

1976 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1976 (1976 का 2)

1976 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1976 (1976 का 1)

1976 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1976 (1976 का 13)

1977 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1977 (1977 का 2)

1977 हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1977 (1977 का 3)

1977 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1977 (1977 का 6)

1977 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1977 (1977 का 5)

1977 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1977 (1977 का 4)

1978 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1977 (1978 का 5)

1978 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1978 (1978 का 11)

1978 हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1978 (1978 का 12)

1978 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1978 (1978 का 20)

1978 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1978 (1978 का 38)

1979 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1979 (1979 का 1)

1979 हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1979 (1979 का 2)

1979 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1979 (1979 का 3)

1980 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1980 (1980 का 1)

1980 हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1980 (1980 का 2)

1980 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1980 (1980 का 5)

1981 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1981 (1981 का 1)

1981 हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1981 (1981 का 2)

1981 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1981 (1981 का 3)

1982 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1982 (1982 का 3)

1982 हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1982 (1982 का 2)

1982 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1982 (1982 का 8)

1983 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1983 (1983 का 1)

1983 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1983 (1983 का 2)

1983 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1983 (1983 का 3)

1983 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1983 (1983 का 4)

1983 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 1983 (1983 का 5)

1983 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 6) अधिनियम, 1983 (1983 का 6)

1983 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 7) अधिनियम, 1983 (1983 का 13)

1983 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 8) अधिनियम, 1983 (1983 का 11)

1983 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 9) अधिनियम, 1983 (1983 का 12)

1984 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1984 (1984 का 4)

1984 हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1984 (1984 का 5)

1984 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1984 (1984 का 6)

1984 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1984 (1984 का 24)

1984 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1984 (1984 का 25)

1984 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 1984 (1984 का 26)

1985 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1985 (1985 का 1)

1985 हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1985 (1985 का 2)

1985 हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1985 (1985 का 3)

1985 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1985 (1985 का 4)

1986 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1985 (1986 का 1)

1986 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1986 (1986 का 9)

1986 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1986 (1986 का 10)

1986 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1986 (1986 का 11)

1986 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1986 (1986 का 22)

1987 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1987 (1987 का 5)

1987 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1987 (1987 का 6)

1987 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1987 (1987 का 8)

1987 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1987 (1987 का 24)

1987 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 1987 (1988 का 3)

1988 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1988 (1988 का 4)

1988 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1988 (1988 का 5)

1988 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1988 (1988 का 6)

1988 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1988 (1988 का 11)

1989 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 1988 (1989 का 2)

1989 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1989 (1989 का 5)

1989 हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1989 (1989 का 6)

1989 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1989 (1989 का 8)

1989 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1989 (1989 का 9)

1990 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1989 (1990 का 1)

1990 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1990 (1990 का 5)

1990 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1990 (1990 का 6)

1990 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1990 (1990 का 8)

1991 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1991 (1991 का 1)

1991 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1991 (1991 का 2)

1991 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1991 (1991 का 3)

1992 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1992 (1992 का 3)

1992 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1992 (1992 का 4)

1992 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1992 (1992 का 5)

1992 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1992 (1992 का 6)

1994 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1994 (1994 का 1)

1994 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1994 (1994 का 3)

1995 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1995 (1995 का 4)

1995 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1995 (1995 का 5)

1996 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1996 (1996 का 5)

1996 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1996 (1996 का 6)

1996 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1996 (1996 का 7)

1996 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1996 (1996 का 8)

1997 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1997 (1997 का 5)

1997 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1997 (1997 का 6)

1998 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1998 (1998 का 4)

1998 हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1998 (1998 का 5)

1998 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1998 (1998 का 7)

1998 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1998 (1998 का 9)

1998 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1998 (1998 का 8)

1999 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1999 (1999 का 6)

1999 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1999 (1999 का 7)

2000 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2000 (2000 का 5)

2000 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2000 (2000 का 6)

2000 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2000 (2000 का 9)

2000 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 2000 (2000 का 10)

2001 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2001 (2001 का 6)

2001 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2001 (2001 का 7)

2001 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2001 (2001 का 17)

2001 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 2001 (2001 का 18)

2002 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2002 (2002 का 7)

2002 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2002 (2002 का 8)

2003 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2003 (2003 का 3)

2003 हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2003 (2003 का 4)

2003 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2003 (2003 का 11)

2003 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 2003 (2003 का 12)

2003 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2003 (2003 का 5)

2004 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2004 (2004 का 6)

2004 हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2004 (2004 का 7)

2004 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 (2004 का 10)

2005 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2005 (2005 का 8)

2005 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2005 (2005 का 9)

2006 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2006 (2006 का 5)

2006 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2006 (2006 का 6)

2006 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2006 (2006 का 8)

2007 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2007 (2007 का 8)

2007 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2007 (2007 का 9)

2008 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2008 (2008 का 3)

2008 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2008 (2008 का 4)

2008 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2008 (2008 का 6)

2008 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 2008 (2008 का 7)

2009 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2009 (2009 का 6)

2009 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2009 (2009 का 5)

2010 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2009 (2010 का 2)

2010 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 2009 (2010 का 3)

2010 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2010 (2010 का 7)

2010 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2010 (2010 का 8)

2010 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2010 (2010 का 20)

2010 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 2010 (2010 का 21)

2011 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2011 (2011 का 23)

2011 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2011 (2011 का 24)

2011 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2011 (2011 का 35)

2012 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2012 (2012 का 9)

2012 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2012 (2012 का 10)

2013 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2013 (2013 का 22)

2013 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2013 (2013 का 23)

2013 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2013 (2013 का 46)

2014 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 1) अधिनियम, 2014 (2014 का 7)

2014 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2014 (2014 का 11)

2015 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2015 (2015 का 11)

2015 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2015 (2015 का 12)

2015 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2015 (2015 का 27)

2016 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2016 (2016 का 1)

2016 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2016 (2016 का 2)

2017 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2017 (2017 का 6)

2017 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2017 (2017 का 7)

2017 हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2017 (2017 का 12)

2018 हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2018 (2018 का 1)

———————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

उन विनियोग अधिनियमों का निरसन किया जाना प्रस्तावित है जिनका महत्व समाप्त हो गया है या जो अप्रचलित और अनावश्यक हो गए हैं या जिनका पृथक्, स्वतन्त्र और विशेष अधिनियमों के रूप में प्रतिधारण अनावश्यक हो गया है। ऐसे निरसित अधिनियम का मुख्य उद्देश्य स्पष्टता लाने के लिए कानून की पुस्तक से ऐसी अनावश्यक विधियों को हटाना है। हिमाचल प्रदेश राज्य में वास्तव में गत सड़सठ वर्ष के दौरान अधिनियमित विनियोग अधिनियमों का महत्व समाप्त हो गया है किन्तु वे अभी तक भी कानून की पुस्तकों में दर्शाए जा रहे हैं। ये विधियां या तो असंगत हो गई हैं या अप्रक्रियात्मक हो चुकी हैं और विशेषतया अपना प्रयोजन पूर्ण कर चुकी हैं तथा उनकी सार्थकता समाप्त हो गई है। इसलिए, वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के आशय से विधेयक की अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट विनियोग अधिनियमों का निरसन करने के लिए हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2019 को लाने का विनिश्चय किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

जय राम ठाकुर,
मुख्य मन्त्री।

शिमला :

तारीख : ....., 2019

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 6 2019

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION ACTS (REPEAL) BILL, 2019

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to repeal certain Appropriation Acts.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventieth Year of the Republic of India as follows: —

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation Acts (Repeal) Act, 2019.

2. Repeal of certain Appropriation Acts.—The Appropriation Acts specified in THE SCHEDULE are hereby repealed.

3. Savings.—The repeal by this Act of any enactment shall not,—

(a) affect any other enactment in which the repealed enactment has been applied, incorporated or referred to; or

(b) affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered, or any right, title, obligation or liability already acquired or incurred, or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted, or the proof of any past act or thing; or

(c) affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed or recognized or derived by, in or from any enactment hereby repealed; or

(d) affect the audit, examination, accounting, investigation, inquiry or any other action taken or to be taken in relation thereto by any authority and such audit, examination, accounting, investigation, inquiry or action could be taken, and, or continued as if the said enactments are not repealed by this Act.

———————

THE SCHEDULE

(S*ee* section 2)

Year	Short title
1	2
1952	The H.P. Appropriation (Vote on Account) Act, 1952 (1 of 1952)
1952	The H.P. Appropriation Act, 1952 (2 of 1952)

1952 The H.P. Appropriation Act, 1952 (in respect of Supplementary Grants) (5 of 1952)

1953 The H.P. Appropriation Act, 1953 (7 of 1953)

1953 The H.P. Appropriation Act, 1953 (8 of 1953)

1954 The H.P. Appropriation Act, 1953 (Supplementary Grants) (1 of 1954)

1954 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1954 (3 of 1954)

1954 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1954 (4 of 1954)

1954 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1954 (13 of 1954)

1955 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1955 (4 of 1955)

1955 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1955 (5 of 1955)

1955 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1955 (9 of 1955)

1956 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1956 (8 of 1956)

1956 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1956 (4 of 1956)

1956 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1956 (5 of 1956)

1956 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1956 (14 of 1956)

1963 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1963 (1 of 1963)

1964 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1964 (3 of 1964)

1964 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1964 (5 of 1964)

1965 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1965 (1 of 1965)

1965 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1965 (3 of 1965)

1965 The Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act,1965 (2 of 1965)

1965 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1965 (4 of 1965)

1966 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1966 (1 of 1966)

1966 The Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 1966 (2 of 1966)

1966 The Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 1966 (3 of 1966)

1966 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1966 (9 of 1966)

1967 The Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 1967 (1 of 1967)

1967 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1967 (2 of 1967)

1967 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1967 (3 of 1967)

1967 The Himachal Pradesh Appropriation (Excess Expenditure) Act, 1967 (4 of 1967)

1968 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1968 (1 of 1968)

1968 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1968 (2 of 1968)

1968 The Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 1968 (3 of 1968)

1968 The Himachal Pradesh Appropriation (Excess Expenditure) Act, 1968 (5 of 1968)

1968 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1968 (6 of 1968)

1969 The Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 1969 (9 of 1969)

1969 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1969 (10 of 1969)

1969 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 1969 (11 of 1969)

1969 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1969 (14 of 1969)

1970 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1970 (14 of 1970)

1970 The Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act,1970 (12 of 1970)

1970 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1970 (15 of 1970)

1971 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1971 (10 of 1971)

1971 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1971 (11 of 1971)

1971 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1971 (17 of 1971)

1972 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1972 (1 of 1972)

1972 The Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 1972 (2 of 1972)

1972 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1972 (13 of 1972)

1973 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1972 (1 of 1973)

1973 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1973 (8 of 1973)

1973 The Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 1973 (9 of 1973)

1973 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1973 (10 of 1973)

1974 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1974 (12 of 1974)

1974 The Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 1974 (11 of 1974)

1974 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1974 (13 of 1974)

1975 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1975 (4 of 1975)

1975 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1975 (5 of 1975)

1976 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1976 (2 of 1976)

1976 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1976 (1 of 1976)

1976 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1976 (13 of 1976)

1977 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1977 (2 of 1977)

1977 The Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 1977 (3 of 1977)

1977 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1977 (6 of 1977)

1977 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1977 (5 of 1977)

1977 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1977 (4 of 1977)

1978 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1977 (5 of 1978)

1978 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1978 (11 of 1978)

1978 The Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 1978 (12 of 1978)

1978 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1978 (20 of 1978)

1978 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1978 (38 of 1978)

1979 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1979 (1 of 1979)

1979 The Himachal Pradesh Appropriation Vote on Account) Act, 1979 (2 of 1979)

1979 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1979 (3 of 1979)

1980 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1980 (1 of 1980)

1980 The Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 1980 (2 of 1980)

1980 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1980 (5 of 1980)

1981 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1981 (1 of 1981)

1981 The Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 1981 (2 of 1981)

1981 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1981 (3 of 1981)

1982 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1982 (3 of 1982)

1982 The Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 1982 (2 of 1982)

1982 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1982 (8 of 1982)

1983 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1983 (1 of 1983)

1983 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 1983 (2 of 1983)

1983 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 1983 (3 of 1983)

1983 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 4) Act, 1983 (4 of 1983)

1983 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 5) Act, 1983 (5 of 1983)

1983 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 6) Act, 1983 (6 of 1983)

1983 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 7) Act, 1983 (13 of 1983)

1983 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 8) Act, 1983 (11 of 1983)

1983 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 9) Act, 1983 (12 of 1983)

1984 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1984 (4 of 1984)

1984 The Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act,1984 (5 of 1984)

1984 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 1984 (6 of 1984)

1984 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 1984 (24 of 1984)

1984 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 4) Act, 1984 (25 of 1984)

1984 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 5) Act, 1984 (26 of 1984)

1985 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 1985 (1 of 1985)

1985 The Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 1985 (2 of 1985)

1985 The Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 1985 (3 of 1985)

1985 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1985 (4 of 1985)

1986 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 1985 (1 of 1986)

1986 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1986 (9 of 1986)

1986 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 1986 (10 of 1986)

1986 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 1986 (11of 1986)

1986 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 4) Act, 1986 (22 of 1986)

1987 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1987 (5 of 1987)

1987 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 1987 (6 of 1987)

1987 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 1987 (8 of 1987)

1987 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 4) Act, 1987 (24 of 1987)

1987 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 5) Act, 1987 (3 of 1988)

1988 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1988 (4 of 1988)

1988 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 1988 (5 of 1988)

1988 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 1988 (6 of 1988)

1988 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 4) Act, 1988 (11 of 1988)

1989 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 5) Act, 1988 (2 of 1989)

1989 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1989 (5 of 1989)

1989 The Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 1989 (6 of 1989)

1989 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 1989 (8 of 1989)

1989 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 1989 (9 of 1989)

1990 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 4) Act, 1989 (1 of 1990)

1990 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1990 (5 of 1990)

1990 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 1990 (6 of 1990)

1990 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 1990 (8 of 1990)

1991 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1991 (1 of 1991)

1991 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 1991 (2 of 1991)

1991 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 1991 (3 of 1991)

1992 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1992 (3 of 1992)

1992 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 1992 (4 of 1992)

1992 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 1992 (5 of 1992)

1992 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 4) Act, 1992 (6 of 1992)

1994 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1994 (1 of 1994)

1994 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 1994 (3 of 1994)

1995 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1995 (4 of 1995)

1995 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 1995 (5 of 1995)

1996 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1996 (5 of 1996)

1996 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 1996 (6 of 1996)

1996 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 1996 (7 of 1996)

1996 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 4) Act, 1996 (8 of 1996)

1997 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1997 (5 of 1997)

1997 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 1997 (6 of 1997)

1998 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1998 (4 of 1998)

1998 The Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 1998 (5 of 1998)

1998 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 1998 (7 of 1998)

1998 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 1998 (9 of 1998)

1998 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 4) Act, 1998 (8 of 1998)

1999 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 1999 (6 of 1999)

1999 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 1999 (7 of 1999)

2000 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 2000 (5 of 2000)

2000 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 2000 (6 of 2000)

2000 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 2000 (9 of 2000)

2000 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 4) Act, 2000 (10 of 2000)

2001 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 2001 (6 of 2001)

2001 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 2001 (7 of 2001)

2001 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 2001 (17 of 2001)

2001 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 4) Act, 2001 (18 of 2001)

2002 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 2002 (7 of 2002)

2002 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 2002 (8 of 2002)

2003 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 2003 (3 of 2003)

2003 The Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 2003 (4 of 2003)

2003 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 2003 (11 of 2003)

2003 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 4) Act, 2003 (12 of 2003)

2003 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 2003 (5 of 2003)

2004 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 2004 (6 of 2004)

2004 The Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 2004 (7 of 2004)

2004 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 2004 (10 of 2004)

2005 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 2005 (8 of 2005)

2005 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 2005 (9 of 2005)

2006 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 2006 (5 of 2006)

2006 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 2006 (6 of 2006

2006 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 2006 (8 of 2006)

2007 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 2007 (8 of 2007)

2007 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 2007 (9 of 2007)

2008 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 2008 (3 of 2008)

2008 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 2008 (4 of 2008)

2008 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 2008 (6 of 2008)

2008 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 4) Act, 2008 (7 of 2008)

2009 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 2009 (6 of 2009)

2009 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 2009 (5 of 2009)

2010 The H.P. Appropriation (No. 3) Act, 2009 (2 of 2010)

2010 The H.P. Appropriation (No. 4) Act, 2009 (Bill No. 3 of 2010)

2010 The H.P. Appropriation Act, 2010 (7 of 2010)

2010 The H.P. Appropriation (No. 2) Act, 2010 (8 of 2010)

2010 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 2010 (20 of 2010)

2010 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 4) Act, 2010 (21 of 2010)

2011 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 2011 (23 of 2011)

2011 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 2011 (24 of 2011)

2011 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 2011 (35 of 2011)

2012 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 2012 (9 of 2012)

2012 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 2012 (10 of 2012)

2013 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 2013 (22 of 2013)

2013 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 2013 (23 of 2013)

2013 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 2013 (46 of 2013)

2014 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 1) Act, 2014 (7 of 2014)

2014 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 2014 (11 of 2014)

2015 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 2015 (11 of 2015)

2015 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 2015 (12 of 2015)

2015 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 2015 (27 to 2015)

2016 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 2016 (1 of 2016)

2016 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 2016 (2 of 2016)

2017 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 2017 (6 of 2017)

2017 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 2017 (7 of 2017)

2017 The Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 2017 (12 of 2017)

2018 The Himachal Pradesh Appropriation Act, 2018 (1 of 2018)

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Appropriation Acts which have lost their significance or have become obsolete and redundant or the retention whereof as separate, independent and distinct Acts have become unnecessary, are proposed to be repealed. The principal object of such repealing Acts is to remove

such redundant laws from the Statute Book to bring in clarity. The Appropriation Acts enacted during past sixty-seven years in the State of Himachal Pradesh, in reality have lost their meaning, but are still shown on the Statute Books. These laws have become either irrelevant or dysfunctional and importantly have served their purpose and outlived their utility. Thus, in order to achieve the desired objective it has been decided to bring the Himachal Pradesh Appropriation Acts (Repeal) Bill, 2019 to repeal Appropriation Acts as specified in THE SCHEDULE to the Bill.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(JAI RAM THAKUR,
Chief Minister.

SHIMLA :
The……., 2019.

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–4, 13 फरवरी, 2019

संख्याः वि0स0–विधायन–सरकारी विधेयक / 1–7 / 2019.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश गोजातीय प्रजनन विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 7) जो कि आज दिनांक 13–2–2019 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित / –
(यशपाल),
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

2019 का विधेयक संख्यांक 7

हिमाचल प्रदेश गोजातीय प्रजनन विधेयक, 2019

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य में गोजातीय वीर्य के उत्पादन के लिए गोजातीय प्रजनन बैलों के उपयोग, गोजातीय वीर्य के प्रसंस्करण, भण्डारण, विक्रय और वितरण तथा कृत्रिम गर्भाधान और गोजातीय के किसी अन्य प्रजनन क्रियाकलाप सहित गोजातीय प्रजनन क्रियाकलापों के विनियमन द्वारा गोजातियों के सुधार हेतु तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

अध्याय–1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**––(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश गोजातीय प्रजनन अधिनियम, 2019 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. **परिभाषाएं.**––इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''कृत्रिम गर्भाधान'' से, कृत्रिम उपायों द्वारा किसी व्यस्क मादा जननांग में गोजातीय वीर्य जमा करने हेतु अपनाई गई तकनीक और प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(ख) ''प्राधिकरण'' से, धारा 3 के अधीन गठित गोजातीय प्रजनन प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) ''प्राधिकृत वीर्यरोपक'' से, प्राधिकरण द्वारा ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, प्रमाणित किए जाने वाला पशु चिकित्सक या सह–पशु चिकित्सक या प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कर्मकार अभिप्रेत है;

(घ) ''गोजातीय'' से, कोई गाय, बैल, बछिया, बछड़ा, भैंस, भैंसा और भैंस का कटड़ा या कटड़ी अभिप्रेत है;

(ङ) ''गोजातीय प्रजनक'' से, गोजातीय प्रजनन क्रियाकलापों में रत कोई व्यक्ति या संगठन या फर्म या अभिकरण अभिप्रेत है;

(च) ''गोजातीय प्रजनन'' से, गोजातियों के प्रजनन क्रियाकलाप अभिप्रेत हैं, जिसके अन्तर्गत गोजातीय बैलों, वीर्य या भ्रूणों का उपयोग भी है;

(छ) ''प्रजनन नीति'' से, राज्य में पशुधन, विशेषतया गोजातियों के प्रजनन और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा सम्यक् रूप से अधिसूचित पशुधन प्रजनन नीति अभिप्रेत है;

(ज) ''प्रमाणित बैल'' से, प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित गोजातीय बैल अभिप्रेत है, जिसे किसी विशिष्ट गोजातीय नस्ल के वीर्य उत्पादन हेतु रखा गया है और जो ऐसे मानकों को पूर्ण करता है, जैसे विहित किए जाएं;

(झ) ''अध्यक्ष'' से, प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ञ) ''भ्रूण'' से, नर और मादा गोजातीय युग्मकों के विलय के परिणाम स्वरूप विकसित कोई आकार अभिप्रेत है;

(ट) ''विशेषज्ञ'' से, ऐसा विशेषज्ञ अभिप्रेत है, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूर्ण करता है;

(ठ) ''सरकार'' या ''राज्य सरकार'' से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(ड) ''मिथ्या छाप वाला वीर्य'' से, ऐसा वीर्य अभिप्रेत है, जिसका डीऑक्सीराइबोस नयुक्लिक अम्ल प्रोफाईल वीर्य बैंक या वीर्य नली के अभिलेख में वर्णित बैल के डीऑक्सीराइबोस नयुक्लिक अम्ल प्रोफाइल से मेल नहीं खाता है;

(ढ) ''सह–पशु चिकित्सक'' से, मुख्य पशु–चिकित्सा औषधि योजक (चीफ वैटर्नरी फार्मासिस्ट), पशुपालन सहायक, पशु–चिकित्सा औषधि योजक (वैटर्नरी फार्मासिस्ट) या ग्राम पंचायत पशु–चिकित्सा सहायक अभिप्रेत है;

(ण) ''वंशावली'' से, बैल / मादा की आनुवंशिक पंक्ति को दर्शाती वंशिक जानकारी अभिप्रेत है;

(त) ''व्यक्ति'' से, कोई फर्म, सीमित दायित्व भागीदारी (एल. एल. पी.), कम्पनी, संस्था, गैर–सरकारी संगठन, प्रजनकों का संगम, न्यास, केन्द्रीय या राज्य सरकार का विभाग, सहकारी सोसाइटी या कोई अन्य अभिकरण / कृत्रिम विधिक व्यक्ति अभिप्रेत है;

(थ) ''परिसर'' से, कोई ऐसा स्थान, भूमि, प्रांगण, भवन या कोई अन्य स्थल अभिप्रेत है, जिसका उपयोग वीर्य के उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण, व्यापार या उपयोगिता के लिए किया जाता है;

(द) ''विहित'' से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ध) ''मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला'' से, प्राधिकरण द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत क्षेत्रीय, राज्य या राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशाला अभिप्रेत है;

(न) ''रजिस्ट्रार'' से, प्राधिकरण का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है;

(प) ''वीर्य'' से, बैल या भैंसे का किसी भी रूप में वीर्य या संसर्ग पृथक्कृत वीर्य अभिप्रेत है;

(फ) ''वीर्य बैंक'' से, कोई ऐसा परिसर अभिप्रेत है, जहां गोजातीय वीर्य का व्यापार या वितरण के लिए भंडारण किया जाता है;

(ब) ''सेवाओं'' से, गोजातीय प्रजनन की कोई ऐसी सेवाएं अभिप्रेत हैं, जैसी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं;

(भ) ''शुक्राणु केन्द्र'' से, ऐसे परिसर अभिप्रेत हैं, जहां गोजातीय वीर्य के उत्पादन, प्रसंस्करण और भंडारण के लिए कोई सुविधा केन्द्र स्थापित किया गया है;

(म) ''अव–मानक वीर्य (सब स्टैंडर्ड सीमन)'' से, ऐसा वीर्य या वीर्य नलियां अभिप्रेत हैं, जो ऐसे मानकों को पूर्ण नहीं करते हैं, जैसा विहित किया जाए; और

(य) ''पशु चिकित्सक'' से, भारतीय पशु–चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 52) में यथापरिभाषित रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है।

अध्याय– 2

गोजातीय प्रजनन प्राधिकरण

3. प्राधिकरण का गठन.––(1) सरकार, राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा किसी प्राधिकरण का गठन करेगी जिसे गोजातीय प्रजनन प्राधिकरण के नाम से जाना जाएगा।

(2) प्राधिकरण का गठन निम्नलिखित से होगा, अर्थात्:–

(क) निदेशक, पशुपालन विभाग हिमाचल प्रदेश	अध्यक्ष;
(ख) निदेशक, भारतीय पशु–चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्ज़तनगर या उसका प्रतिनिधि (जो प्रधान वैज्ञानिक की पंक्ति से नीचे का न हो)	सदस्य;

(ग) संयुक्त आयुक्त (पशुपालन) पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार — सदस्य;

(घ) डॉ. जी.सी. नेगी पशु चिकित्सा और पशु–विज्ञान महाविद्यालय, चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर का संकायाध्यक्ष या उसका प्रतिनिधि, जो आचार्य की पंक्ति से नीचे का न हो — सदस्य;

(ङ) सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला ख्याति प्राप्त पशु चिकित्सक — सदस्य;

(च) सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला ख्याति–प्राप्त गोजातीय प्रजनक — सदस्य;

(छ) संयुक्त निदेशक (मुख्यालय), पशु–पालन विभाग, हिमाचल प्रदेश — सदस्य; और

(ज) संयुक्त निदेशक (विशेष पशुधन प्रजनन कार्यक्रम) पशु पालन विभाग, हिमाचल प्रदेश — सदस्य–सचिव।

(3) प्राधिकरण के कार्यकलापों को सदस्य–सचिव द्वारा प्रबंधित और प्रशासित किया जाएगा।

(4) प्राधिकरण नौ सदस्यों से अनधिक विशेषज्ञों से गठित एक परामर्शक पैनल बनाएगा। प्राधिकरण, विशेषज्ञों के पैनल में से तीन सदस्यों से अनधिक की समिति (समितियां) बनाएगा, जो ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगी, जैसे प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित हों। ऐसी समिति (समितियों) के सदस्य ऐसे मानदेय, यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता के हकदार होंगे, जैसे विहित किए जाएं।

4. प्राधिकरण का मुख्यालय.––प्राधिकरण का मुख्यालय निदेशक, पशुपालन विभाग हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में होगा।

5. प्राधिकरण की बैठकें.––(1) प्राधिकरण की बैठक ऐसे समय और ऐसे स्थान पर होगी जैसी सदस्य सचिव, अध्यक्ष के परामर्श से अवधारित करे और ऐसी बैठकों में प्राधिकरण अपने कारबार के संव्यवहार की बावत ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जैसी विहित की जाए।

(2) किसी बैठक में कारबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक गणपूर्ति चार सदस्यों से होगी।

6. प्राधिकरण के कृत्य.––इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों में यथाउपबंधित प्राधिकरण के कृत्य निम्नलिखित होंगे,—

(क) हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रजनन नीति बनाना और सेवाओं को कार्यान्वित करना;

(ख) हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर या बाहर उत्पादित या किसी अन्य देश से आयातित वीर्य या भ्रूण के प्रसंस्करण, भंडारण, विक्रय और उपयोग को विनियमित करना;

(ग) गोजातीय बैलों जो ऐसे मानकों, जैसे विहित किए जाएं, को पूर्ण करते हैं, प्रमाणित करना;

(घ) इस अधिनियम के अध्याय–3 में अधिकथित उपबंधों के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य में शुक्राणु केन्द्रों को रजिस्ट्रीकृत करना;

(ङ) हिमाचल प्रदेश राज्य में वीर्य बैंकों को रजिस्ट्रीकृत करना;

(च) हिमाचल प्रदेश राज्य में प्राधिकरण द्वारा अधिकथित की गई समुचित मानक संचालन प्रक्रियाओं के माध्यम से गोजातीय प्रजनन कार्यकलापों के संचालन के लिए प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कर्मकारों को प्रमाणित करना; और

(छ) गोजातीय प्रजनन से संबंधित ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जैसे विहित किए जाएं।

7. प्राधिकरण के विशेषज्ञ और अन्य कार्मिक.——प्राधिकरण अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन पशुपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारिवृंद के माध्यम से करेगा। यह पशु–चिकित्सा अर्हताएं और अनुभव, जैसा विहित किया जाए, रखने वाले अधिकारियों और विशेषज्ञों की ऐसी संख्या, जैसी इसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए यह आवश्यक समझें, को आऊटसोर्स भी कर सकेगा या प्रतिनियुक्ति पर ले सकेगा।

8. प्राधिकरण की अधिकारिता और शक्तियां.—(1) इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन, प्राधिकरण की, गोजातीय प्रजनन क्रियाकलापों की बावत, अधिकारिता संपूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर होगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण को प्रदत्त कृत्यों के निर्वहन के लिए, प्राधिकरण या इसके द्वारा इस निमित्त सशक्त किए गए किसी अधिकारी के पास किसी शुक्राणु केन्द्र या गोजातीय प्रजनन कार्यकलापों में रत किसी व्यक्ति से कोई अपेक्षित सूचना अभिप्राप्त करने की शक्ति होगी।

(3) प्राधिकरण को, किसी परिसर, जहां गोजातीय प्रजनन से संबंधित कोई क्रियाकलाप किया जा रहा है, के प्रभारी व्यक्ति या जो उसकी राय में इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है, से अपेक्षित ऐसी सूचना ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करने के लिए निदेश देने की शक्ति होगी, जैसी इसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

अध्याय–3
शुक्राणु केन्द्रों और वीर्य बैंकों का रजिस्ट्रीकरण तथा बैलों और प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कर्मकारों का प्रमाणीकरण

9. शक्राणु केन्द्रों का रजिस्ट्रीकरण.—(1) कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ को और की तारीख से, प्राधिकरण से रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र अभिप्राप्त किए बिना कृत्रिम गर्भाधान के लिए वीर्य की मात्रा के उत्पादन और भंडारण या भ्रूण के उत्पादन और अंतरण हेतु किसी शुक्राणु केन्द्र को स्थापित और संचालित नहीं करेगा।

(2) कोई व्यक्ति जो किसी नए शुक्राणु केन्द्र को स्थापित और संचालित करने की वांछा रखता है, रजिस्ट्रीकरण या नवीकरण के लिए ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस, जैसी विहित की जाए, के साथ आवेदन करेगा।

(3) विद्यमान शुक्राणु केन्द का प्रभारी, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से तीन मास के भीतर, रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण–पत्र को प्रदान करने के लिए प्राधिकरण को ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस, जैसी विहित की जाए, के साथ आवेदन करेंगे। वे ऐसे अन्य ब्यौरे सहित जैसे प्ररूप में अपेक्षित किए जाएं, वीर्य के चालू स्टॉक की घोषणा भी करेगा।

(4) नए शुक्राणु केन्द्र स्थापित करने का आशय रखने वाले या विद्यमान वीर्य केन्द्र के आवेदकों, जिन्होंने प्राधिकरण को विहित फीस के साथ आवेदन प्ररूप प्रस्तुत किया है, को इस धारा की उपधारा (6) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के लिए रजिस्ट्रीकरण का अनंतिम प्रमाण–पत्र जारी किया जाएगा। रजिस्ट्रीकरण का अनंतिम प्रमाण–पत्र बारह मास की अवधि के लिए विधिमान्य होगा। इसे आवेदक के लिखित में किए गए अनुरोध पर छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा। प्राधिकरण विस्तारण की प्रास्थिति के बारे में एक मास के भीतर उत्तर देगा।

(5) आवेदक, नए शुक्राणु केन्द्र या विद्यमान शुक्राणु केन्द्र हेतु रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए प्राधिकरण को निरीक्षण के लिए उपरोक्त बारह मास या छह मास की विस्तारित अवधि, जो भी लागू

हो, के भीतर लिखित में अनुरोध करेगा। प्राधिकरण, तदुपरि, ऐसे निरीक्षण के लिए परामर्शक पैनल से विशेषज्ञों की एक समिति भेजेगा।

(6) प्राधिकरण का समाधान हो जाने के पश्चात् कि,—

(क) शुक्राणु केन्द्र के पास,–

(i) गोजातीय बैलों के करंतीन के लिए ऐसे परिसर हैं, जैसे प्राधिकरण या भारत सरकार द्वारा विहित किए जाएं;

(ii) बैलों के पालन पोषण और आवास हेतु तथा वीर्य मात्राओं के संग्रहण, प्रसंस्करण, गुणवत्ता नियंत्रण, भंडारण, वितरण और करंतीन के लिए ऐसे परिसर हैं, जैसे प्राधिकरण या भारत सरकार द्वारा विहित किए जाएं; और

(iii) वीर्य मात्राओं के भंडारण के लिए ऐसे परिसर हैं, जैसे प्राधिकरण या भारत सरकार द्वारा विहित किए जाएं;

(ख) प्रत्येक बैल, जिसका वीर्य मात्रा के उत्पादन के लिए शुक्राणु केन्द्र में प्रयोग किया जाता है,—

(i) ऐसे परीक्षणों, जो प्राधिकरण या भारत सरकार द्वारा विहित किए जाएं, का परीक्षण नकारात्मक पाया गया है,—

(क) करंतीन केन्द्र में इसके प्रवेश से पूर्व;
(ख) करंतीन केन्द्र पर करंतीन अवधि के दौरान;
(ग) पालन–पोषण केन्द्र पर पालन–पोषण के दौरान; और
(घ) शुक्राणु केन्द्र पर;

(ii) केवल अनुमत्त नस्लों की ऐसी नस्ल विशेषताओं के अनुरूप हो जैसी प्रजनन नीति में विनिर्दिष्ट की जाए और जो मात्रा और गुणवत्ता के सन्दर्भ में विभिन्न विलक्षणताओं के ऐसे न्यूनतम मानकों, जैसे प्राधिकरण या भारत सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट और समय–समय पर यथाउपान्तरित और अधिसूचित किए जाएं, को पूरा करते हों;

(ग) शुक्राणु केन्द्र बैलों के सही ब्यौरे अनुरक्षित करेगा, जिनकी वीर्य मात्रा को यह एक आरूप, जैसा विहित किया जाए, में कृत्रिम गर्भाधान के उत्पादन, भण्डारण, विक्रय, वितरण या वितरित करने हेतु प्रस्तावित करता है;

नए शुक्राणु केन्द्र या विद्यमान शुक्राणु केन्द्र को, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र प्रदान करेगा जिसमें स्पष्टतया शुक्राणु केन्द्र का नाम और पता, शुक्राणु केन्द्र का रजिस्ट्रीकरण नम्बर, वीर्य उत्पादन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले प्रमाणित बैलों की विशिष्ट पहचान संख्या, शुक्राणु केन्द्र के प्रभारी का नाम और ऐसे निबंधन और शर्तें, जैसी यह उचित समझे, विनिर्दिष्ट की जाएगी।

(7) इस धारा के अधीन शुक्राणु केन्द्र को प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र इसके जारी किए जाने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

(8) शुक्राणु केन्द्र का प्रभारी प्राधिकरण को, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र के अवसान से कम से कम तीन मास पूर्व, ऐसी फीस सहित, जैसी विहित की जाए, ऐसे प्ररूप में रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन करेगा। प्राधिकरण का समाधान हो जाने के पश्चात् कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की बावत उपधारा (6) में विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन किया गया है, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर, रजिस्ट्रीकरण का दो वर्ष की और अवधि के लिए नवीकरण करेगा। यदि नवीकरण प्रमाण–पत्र तीन मास के

भीतर जारी नहीं किया जाता है तो, यदि अन्यथा संसूचित न किया जाए, अनुमोदन प्रदान किया गया समझा जाएगा।

(9) किसी नए गोजातीय बैल, जो वीर्य उत्पादन के मानकों को पूर्ण करता है, को वीर्य उत्पादन के लिए प्राधिकरण के पूर्वानुमोदन और आवश्यक प्रमाणीकरण के बिना शुक्राणु केन्द्र में शामिल नहीं किया जाएगा। किसी प्रमाणित बैल की मृत्यु/बीनने के संबंध में प्राधिकरण को सूचित किया जाएगा।

(10) प्राधिकरण, आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर दिए जाने के पश्चात् और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र को प्रदान करने या उसका नवीकरण करने से इन्कार कर सकेगा।

(11) प्राधिकरण, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र में विनिर्दिष्ट शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए शुक्राणु केन्द्र के निरीक्षण हेतु, जब कभी यह चाहे किन्तु वर्ष में कम से कम एक बार, विशेषज्ञों की एक समिति भेजेगा।

10. वीर्य बैंकों का रजिस्ट्रीकरण.––(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को और से, कोई भी व्यक्ति, प्राधिकरण से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अभिप्राप्त किए बिना वीर्य बैंक को स्थापित और संचालित नहीं करेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र ऐसी रीति और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जारी किया जाएगा, जैसी विहित की जाए।

11. बैलों का प्रमाणीकरण.—(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को और से कोई नया शुक्राणु केन्द्र, प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित से अन्यथा, किसी गोजातीय बैल से कोई वीर्य उत्पाद कार्यान्वित नहीं करेगा।

(2) बैलों को, प्राधिकरण द्वारा, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों, जैसी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, के अध्यधीन प्रमाणित किया जाएगा।

(3) प्राधिकरण, प्रत्येक प्रमाणित बैल के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या जनित करेगा और शुक्राणु केन्द्रों को इस विशिष्ट पहचान संख्या को हर समय प्रमाणित बैलों पर सुरक्षित रूप से और स्थायी रूप से टैग करना अनिवार्य होगा।

12. प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कर्मकारों का प्रमाणीकरण.—प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कर्मकारों को प्राधिकरण द्वारा ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्रमाणित किया जाएगा।

13. वीर्य के विक्रय का विनियमन.—(1) कोई व्यक्ति, प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति से अन्यथा, किसी भी अन्य व्यक्ति को वीर्य/भ्रूण का विक्रय या वितरण या दान या अंतरण नहीं करेगा।

(2) हिमाचल प्रदेश राज्य के बाहर उत्पादित किसी भी वीर्य/भ्रूण को हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर प्राधिकरण के ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों, जैसी विहित की जाएं, के अध्यधीन प्रदान किए जाने वाले पूर्वानुमोदन के सिवाय, कृत्रिम गर्भाधान/अंतरण हेतु विक्रीत, वितरित या दान किए जाने हेतु अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(3) किसी भी वीर्य/भ्रूण को किसी अन्य देश से हिमाचल प्रदेश राज्य में, प्राधिकरण के ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों, जैसी विहित की जाएं, के अध्यधीन प्रदान किए जाने वाले पूर्वानुमोदन के सिवाय कृत्रिम गर्भाधान/अंतरण के लिए आयातित नहीं किया जाएगा।

14. द्विप्रतिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र जारी करना.—इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र या कोई नवीकरण प्रमाण पत्र यदि विकृत, गुम या नष्ट हो जाता है तो प्राधिकरण, समाधान हो जाने पर, आवेदक को ऐसी फीस, जैसी विहित की जाए, के संदाय पर द्विप्रतिक प्रमाण–पत्र प्रदान कर सकेगा।

15. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र का प्रतिसंहरण.— यदि प्राधिकरण का, इस निमित्त किए गए संदर्भ पर या प्राधिकरण द्वारा गठित विशेषज्ञों की समिति की जांच रिपोर्ट के आधार पर या अन्यथा, समाधान हो जाता है कि,–

(क) इस अधिनियम के अधीन इस द्वारा किसी शुक्राणु केन्द्र को प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र तथ्यों के दुर्व्यपदेशन या कपट से अभिप्राप्त किया गया है; या

(ख) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र का धारक, युक्तियुक्त कारण के बिना उन निबंधनों और शर्तों, जिनके अध्यधीन प्रमाण–पत्र प्रदान किया गया है, का अनुपालन करने में असफल हो गया है या इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया गया है या ऐसी शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है, जैसी विहित की जाएं;

तब प्राधिकरण किन्हीं अन्य कार्यवाहियों, जिनके लिए प्रमाण–पत्र का धारक इस अधिनियम के अधीन दायी हो सकता है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र के धारक को कारण बताओ का एक अवसर प्रदान करने के पश्चात्,—

(i) इस अधिनियम के अधीन जहां रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र प्रदान करते समय या उसका नवीकरण करते समय किसी व्यक्ति पर कोई शर्त अधिरोपित की गई है और ऐसा व्यक्ति ऐसी शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो प्राधिकरण ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र या उसके नवीकरण को प्रतिसंहृत कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे कदम उठाएगा, जैसे विहित किए जाएं; या

(ii) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या नवीकरण को तब तक निलंबित रखेगा जब तक प्रमाण पत्र का धारक प्राधिकरण के समाधानप्रद समस्त अपेक्षित शर्तों की अनुपालना नहीं करता है; या

(iii) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के धारक से इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करने का वचनबंध लेगा।

16. अपील.— (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र को प्रदान करने या उसको नवीकृत करने से इन्कार करने या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र को प्रतिसंहृत करने या निलंबित करने के प्राधिकरण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अपील प्राधिकरण, जो पशुपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश का प्रशासनिक सचिव होगा, के समक्ष अपील कर सकेगा।

(2) अपील प्राधिकरण, आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्रता से, किन्तु अपील की प्राप्ति के तीन मास के भीतर, अपील का विनिश्चय करेगा।

अध्याय–4

प्राधिकरण की शक्तियां

17. निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण करने की शक्ति.—(1) प्राधिकरण या इस द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत विशेषज्ञों की समिति के सदस्य, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के निबंधन और शर्तों या इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों की अनुपालना सुनिश्चित करने के दृष्टिगत या निरीक्षण और जांच के प्रयोजन के लिए,—

(क) किसी परिसर में प्रवेश, निरीक्षण या तलाशी कारित या संचालित कर सकेगा / सकेंगे। यदि उसके / उनके पास विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में कोई कार्यकलाप किया जा रहा है या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के

किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन हो रहा है या प्रमाण–पत्र धारक, इस अधिनियम के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के उल्लंघन में कोई कार्यकलाप कर रहा है; और

(ख) किसी शुक्राणु केन्द्र के परिसर से वीर्य उत्पादन में प्रयुक्त वीर्य, रक्त या किसी अन्य पदार्थ के नमूने एकत्रित कर सकेगा/सकेंगे और ऐसे नमूनों का किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से विश्लेषण करवा सकेगा/सकेंगे। वीर्य का समस्त स्टॉक, जो अप्रमाणित बैलों से एकत्र किया गया है, को तुरन्त नष्ट कर दिया जाएगा और ऐसे वीर्य प्रसंस्करण उपकरण को सीलबंद कर दिया जाएगा।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के जांच (तलाशी) और अभिग्रहण से संबंधित उपबंध, जहां तक वे लागू हों, उपधारा (1) के अधीन तलाशी, सीलबंदी और अभिग्रहण के सम्बन्ध में लागू होंगे।

18. अभिलेखों का अनुरक्षण और प्रस्तुतीकरण.—(1) प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र धारित करता है, अपने कारबार संव्यवहारों से संबंधित ऐसी बहियों, लेखों और अभिलेखों का अनुरक्षण ऐसे प्ररूप में करेगा, जैसा इस निमित्त प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जो किसी शुक्राणु केन्द्र/वीर्य बैंक हेतु रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र धारित करता है, प्राधिकरण को शुक्राणु केन्द्र/वीर्य बैंक की बावत, ऐसे प्ररूप में जैसा विहित किया जाए, द्विप्रतिक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और प्रमाणीकरण के लिए प्रस्तावित नए बैलों की बावत उनका वीर्य इस प्रकार प्रयोग में लाया जाएगा जो विहित किया जाए।

19. निदेश देने की शक्ति.—किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्तु इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन और ऐसे निदेश, जो इस निमित्त सरकार द्वारा दिए जाएं, प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अपने कृत्यों का पालन करते हुए किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को लिखित में कोई निदेश जारी कर सकेगा और, यथास्थिति ऐसा व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा। इस धारा के अधीन निदेश जारी करने की शक्तियों के अन्तर्गत निम्न निदेशों की शक्ति भी होगी,—

(क) गोजातीय प्रजनन से संबंधित किसी परिचालन, प्रक्रिया या क्रियाकलाप को बंद करना, प्रतिषिद्ध करना या विनियमित करना; या

(ख) विद्युत, जल या किसी अन्य सेवा की आपूर्ति को रोकना या विनियमित करना।

20. इस अधिनियम के उल्लंघन में आशंकित गोजातीय प्रजनन क्रियाकलापों की रोकथाम के लिए न्यायालयों को आवेदन करने की शक्ति.—(1) जहां प्राधिकरण द्वारा यह आशंका की जाती है कि कोई व्यक्ति, फर्म, कम्पनी या गैर सरकारी संगठन इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में गोजातीय प्रजनन सेवाओं या वीर्य/भ्रूण के व्यापार और आपूर्ति में रत है, तो प्राधिकरण या इसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी उक्त व्यक्ति को उक्त क्रियाकलाप कार्यान्वित करने से रोकने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय में शिकायत कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को उक्त क्रियाकलाप को कार्यान्वित करने से रोकने के लिए आदेश पारित कर सकेगा या ऐसे निदेश दे सकेगा या ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा यह उचित समझे।

अध्याय–5
अपराध और शास्तियां

21. शास्तियां.—(1) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन या अतिक्रमण करता है तो वह एक लाख रुपए के जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या तीन वर्ष तक के कठिन कारावास से या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) इस प्रकार अधिरोपित जुर्माने को सम्बद्ध व्यक्ति से भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकेगा।

22. अपराधों का संज्ञान.—(1) कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान, प्राधिकरण द्वारा या इसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की गई किसी शिकायत पर के सिवाय, नहीं लेगा।

(2) प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्नतर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी के सिवाय, किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा।

(4) इस अधिनियम के अधीन, अनधिकृत वीर्य या मिथ्या छाप वाले या अवमानक वीर्य का उत्पादन, कब्जा, वितरण, विक्रय, किसी भी रूप में अंतरण, आयात–निर्यात या उपयोग, संज्ञेय अपराध होगा।

अध्याय–6

प्रकीर्ण

23. मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला की रिपोर्ट.—किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा सम्यक् रूप से जारी किया गया कोई दस्तावेज, जिसका रिपोर्ट होना तात्पर्यित है, उनमें कथित तथ्यों को इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाया जा सकेगा।

24. स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा सहायता.—समस्त स्थानीय प्राधिकरण, जैसे विहित किए जाएं, प्राधिकरण को ऐसी सहायता और सहयोग प्रदान करेंगे तथा ऐसी सूचना प्रस्तुत करेंगे, जैसी इसके द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए अपेक्षित हो और ऐसे अभिलेख या दस्तावेज, जैसे आवश्यक हों, निरीक्षण और परीक्षण के लिए उपलब्ध करवाएंगे।

25. रिपोर्टें.—प्राधिकरण सरकार को अपनी निधियों, क्रियाकलापों या नीतियों की बावत ऐसी रिपोर्टें, आंकड़े और अन्य सूचना प्रस्तुत करेगा, जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हों।

26. प्राधिकरण के विशेषज्ञों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना.—इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में कार्य कर रहे या कार्य करने के लिए तात्पर्यित प्राधिकरण के समस्त विशेषज्ञों, अधिकारियों और कर्मचारियों को भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

27. अधिकारिता का वर्जन.—किसी सिविल न्यायालय को, किसी ऐसे मामले में, जिसकी बावत सरकार या कोई अन्य व्यक्ति या प्राधिकरण इस अधिनियम द्वारा संज्ञान लेने में और जो इसका निपटारा करने में सशक्त है और ऐसी रीति जिसमें सरकार या ऐसा व्यक्ति या प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन या द्वारा इसमें / उसमें निहित किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता हो, कोई अधिकारिता नहीं होगी।

28. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.— कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाहियां इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक और लोकहित में की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में प्राधिकरण के किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारियों के विरुद्ध नहीं की जाएंगी।

29. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, कर सकेगी जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों।

(2) सरकार, प्राधिकरण को ऐसे दिशानिर्देश जारी कर सकेगी, जैसे इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए यह उचित समझे।

30. नयम बनाने की शक्ति.—(1) सरकार, राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सरकार ऐसे नियम बना सकेगी जो किसी अन्य बात, जो विहित की जानी है या की जाए, के लिए उपबंध करे।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम इनके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, पन्द्रह दिन से अन्यून की अवधि के लिए रखे जाएंगे जो कि एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या ठीक बाद के सत्रों के अवसान से पूर्व विधान सभा ऐसे किन्हीं नियमों में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाती है या विधान सभा इस बात के लिए सहमत हो जाती है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम तत्पश्चात्, यथास्थिति, ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभावी हो जाएगा। तथापि, ऐसा कोई उपान्तरण या बातिलीकरण, उस नियम के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

————————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमशीतित वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान, श्रेष्ठतर बीज जीवाणु के प्रसार के माध्यम से आनुवंशिक सुधार के लिए विश्व भर में सर्वोत्तम उपाय सिद्ध हुआ है। इस उद्देश्य को केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है यदि कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम में प्रयुक्त हिमशीतित वीर्य गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है। उत्तम वीर्य के उत्पादन और वितरण के लिए यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि शुक्राणु केन्द्र रजिस्ट्रीकृत होने चाहिए ताकि राज्य के भीतर और बाहर उत्पादित वीर्य के प्रसंस्करण, भंडारण और विक्रय को विनियमित किया जा सके। न्यूनतम मानक मापदण्ड के अनुसार वीर्य उत्पादन के लिए उत्तम आनुवंशिक गुणों से युक्त बैलों का उपयोग किया जाए और मानक प्रवर्ती प्रक्रियाओं के अनुसार गोजातीय प्रजनन क्रियाकलापों में प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कर्मकार ही लगाए जाने चाहिए। प्रजनन नीति को राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार विरचित और कार्यान्वित किया जाए।

उपरोक्त के दृष्टिगत, हिमाचल प्रदेश राज्य में चालू प्रजनन कार्यक्रम में सुधार लाने और उन्नयन करने हेतु गोजातीय प्रजनन क्रियाकलापों को विनियमित करने के लिए विधि का बनाया जाना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(वीरेन्द्र कंवर)
प्रभारी मंत्री।

शिमला :
तारीख....., 2019

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 7 of 2019

THE HIMACHAL PRADESH BOVINE BREEDING BILL, 2019

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for improvement of bovines by regulating bovine breeding activities including use of bovine breeding bulls for production of bovine semen, processing, storage, sale and distribution of bovine semen, and artificial insemination and any other breeding activity in bovines in the State of Himachal Pradesh and for the matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER-I
PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Bovine Breeding Act, 2019.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, appoint.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) artificial insemination" means the technique and procedure used for depositing bovine semen into the mature female reproductive tract by artificial means;

(b) "Authority" means the Bovine Breeding Authority constituted under section 3;

(c) "authorized inseminator" means a Veterinarian or Para Veterinarian or trained artificial insemination worker to be certified by the Authority in such manner, as may be prescribed;

(d) "bovine" means a cow, cow-bull, cow-heifer, buffalo, buffalo-bull and buffalo heifer;

(e) "bovine breeder" means any person or organization or firm or agency engaged in bovine breeding activities;

(f) "bovine breeding" means breeding activities in bovines that includes the use of bovine bulls, semen or embryos;

(g) "Breeding Policy" means the Livestock Breeding Policy, duly notified by the Government to promote breeding and development of livestock, especially of bovines in the State;

(h) "certified bull" means a bovine bull certified by the Authority, which is kept for semen production for a particular bovine breed and meets the standards, as may be prescribed;

(i) "Chairperson" means the Chairperson of the Authority;

(j) "embryo" means a structure developed as a result of fusion of bovine male and female gametes;

(k) "expert" means an expert who fulfills the requirements, as may be specified by the Authority;

(l) "Government" or "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(m) "misbranded semen" means a semen whose Deoxyribonucleic Acid profile does not match with Deoxyribonucleic Acid profile of the bull, mentioned in the record of semen bank or semen straw;

(n) "Para-Veterinarian" means Chief Veterinary Pharmacist, Animal Husbandry Assistant, Veterinary Pharmacist or Gram Panchyat Veterinary Assistant;

(o) "pedigree" means genealogical information showing the ancestral line of the bull / dam;

(p) "person" means any Firm, Limited Liability Partnership (LLP), Company, Institution, Non-Governmental Organization, Breeder's Association, Trust, Department of Central or State Government, Co-operative Society or any other agency/artificial juridical person;

(q) "premises" means any place, land, yard, building or any other site that is used for semen production, processing, storage, transport, distribution, trade or utilization;

(r) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(s) "Recognized Laboratory" means the Regional, State or National level laboratory, duly authorized by the Authority;

(t) "Registrar" means the Registrar of the Authority;

(u) "semen" means the semen or sex sorted semen of cow bull or buffalo bull in any form;

(v) "semen bank" means a premises where the bovine semen is stored for trading or distribution;

(w) "services" means any of the bovine breeding services, as may be specified by the Government;

(x) "sperm station" means a premises, where a facility is set up for production, processing and storage of bovine semen;

(y) "sub-standard semen" means semen or semen straws that do not meet the standards, as may be prescribed; and

(z) "Veterinarian" means a registered veterinary practitioner as defined in the Indian Veterinary Council Act, 1984 (Central Act No. 52 of 1984).

CHAPTER-II
BOVINE BREEDING AUTHORITY

3. Constitution of the Authority.—(1) The Government shall, by notification in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh, constitute an Authority to be known as the Bovine Breeding Authority.

(2) The Authority shall consist of the following namely:-

(a) Director, Animal Husbandry Department, Himachal Pradesh	*Chairperson;*
(b) Director, Indian Veterinary Research Institute Izatnagar or his representative (not below the rank of Principal Scientist)	*Member;*
(c) Joint Commissioner, Animal Husbandry, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture and Farmer's Welfare, Government of India	*Member;*
(d) Dean or its representative not below the rank of Professor, Dr. G.C. Negi College of Veterinary and Animal Sciences Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya Palampur, District Kangra	*Member;*
(e) Eminent veterinarian to be nominated by the Government	*Member;*
(f) Eminent bovine breeder to be nominated by the Government	*Member;*
(g) Joint Director (Headquarter) Animal Husbandry Department, Himachal Pradesh	*Member; and*
(h) Joint Director (Special Livestock Breeding Programme) Animal Husbandry Department, Himachal Pradesh	*Member-Secretary.*

(3) The affairs of the Authority shall be managed and administered by the Member-Secretary.

(4) The Authority shall draw-up a consultative panel of experts consisting of not more than nine members. Out of the panel of experts, the Authority shall form Committee(s) of not more than three members which shall perform such functions, as may be required by the Authority. The members of such Committee(s) shall be entitled for such honorarium, travelling allowance and daily allowance, as may be prescribed.

4. Headquarter of the Authority.—The Headquarter of the Authority shall be at the office of the Director, Animal Husbandry Department, Himachal Pradesh.

5. Meetings of the Authority.—(1) The Authority shall meet at such time and place as the Member-Secretary may determine in consultation with the Chairperson and shall observe such procedure with regard to the transaction of its business at such meetings, as may be prescribed.

(2) The quorum necessary for the transaction of business at a meeting shall be four members.

6. Functions of the Authority.— As provided in this Act and the rules made thereunder, functions of the Authority shall be as under,—

(a) to formulate and implement the Breeding Policy and services in the State of Himachal Pradesh;

(b) to regulate the processing, storage, sale and use of semen or embryos produced within or outside the State of Himachal Pradesh or imported from any other country;

(c) to certify bovine bulls, which meet the standards, as may be prescribed;

(d) to register sperm stations in the State of Himachal Pradesh as per the provisions laid down in Chapter III of this Act;

(e) to register semen banks in the State of Himachal Pradesh;

(f) to certify the trained artificial insemination workers for operating bovine breeding activities in the State of Himachal Pradesh through appropriate Standard Operative Procedures to be laid down by the Authority; and

(g) to perform such other functions concerning bovine breeding, as may be prescribed.

7. Experts and other personnel of the Authority.—The Authority shall discharge its duties through the staff of Animal Husbandry Department, Himachal Pradesh. It may also outsource or get on deputation such number of officers and experts with veterinary qualifications and experience, as may be prescribed, as it may consider necessary for the efficient discharge of its functions.

8. Jurisdiction and powers of the Authority.—(1) Subject to the provisions of this Act and the rules made there under, the Authority shall have jurisdiction all over the State of Himachal Pradesh in respect of bovine breeding activities.

(2) For the discharge of the functions conferred on the Authority under this Act, the Authority or any officer empowered by it in this behalf, shall have the power to obtain any required information from any sperm station or related person engaged in bovine breeding activities.

(3) The Authority shall have the power to give directions requiring any person in-charge of any premises, where any activity relating to bovine breeding is carried out or who in its opinion is contravening any of the provisions of this Act or the rules made thereunder, to furnish such information and in such form, as may be specified by it.

CHAPTER-III

REGISTERATION OF SPERM STATIONS AND SEMEN BANKS AND CERTIFICATION OF BULLS AND TRAINED ARTIFICIAL INSEMINATION WORKERS

9. Registration of sperm stations.—(1) On and from the date of commencement of this Act, no person shall establish and operate a sperm station for production and storage of semen doses for artificial insemination or production and transfer of embryos without obtaining a certificate of registration from the Authority.

(2) Any person who desires to establish and operate a new sperm station, shall make an application for registration or renewal in such form and manner alongwith such fee, as may be prescribed.

(3) The incharge of the existing sperm stations shall apply to the Authority for grant of certificate of registration in such form and manner alongwith such fee, as may be prescribed, within three months from the date of commencement of this Act. They shall also declare the current stock of semen alongwith such other details as may be required in the form.

(4) Applicants intending to set-up a new sperm station or the existing sperm stations, who have submitted an application form alongwith prescribed fee to the Authority, shall be issued a provisional certificate of registration to meet the conditions specified in sub-section (6) of this section. The provisional certificate of registration shall be valid for a period of twelve months. It may be extended for a further period of six months on the request of the applicant, in writing. The Authority shall reply within one month about the status of extension.

(5) For the grant of certificate of registration for a new sperm station or the existing sperm station, the applicant shall make a written request to the Authority for inspection within the above twelve months or the extended period of six months, whichever applicable. The Authority shall thereupon, send a committee of experts from the consultative panel for such inspection.

(6) The Authority, after satisfying itself that,—

(a) the sperm station,—

(i) has premises for the quarantine of bovine bulls, as may be prescribed by the Authority or the Government of India;

(ii) has premises for the rearing and housing of bulls and the collection, processing, quality control, storage, distribution and quarantine of semen doses as may be prescribed by the Authority or the Government of India; and

(iii) has premises for the storage of semen doses as may be prescribed by the Authority or the Government of India;

(b) every bull, used in the sperm station for production of semen doses,—

(i) has tested negative to the tests as may be prescribed by the Authority or the Government of India,—

(a) prior to its entry to a quarantine station;

(b) during quarantine period at a quarantine station;

(c) during rearing at a rearing station; and

(d) at the sperm station;

(ii) conforms to breed characteristics of the permitted breeds only as may be specified in the breeding policy and meets the minimum standards for various traits in terms of quantity and quality as may be specified by the Authority or the Government of India and as modified and notified from time to time;

(c) the sperm station shall maintains accurate details of the bull, whose semen doses it would like to produce, store, sell, distribute or proposes to distribute for artificial insemination in a format, as may be prescribed;

shall grant the certificate of registration to a new sperm station or the existing sperm station clearly specifying the name and address of the sperm station, registration number of the sperm station, unique Identification No. of certified bulls to be used for semen production, name of the incharge of the sperm station and such terms and conditions, as it may deem fit.

(7) The certificate of registration granted to sperm station under this section shall be valid for a period of two years from the date of its issue.

(8) The incharge of the sperm station shall, in such form alongwith such fee, as may be prescribed, apply for renewal of registration to the Authority at least three months before the expiry of the certificate of registration. The Authority after satisfying itself that the conditions specified in sub-section (6) with regard to certificate of registration have been adhered to, shall renew the registration for a further period of two years, within three months from the date of receipt of application. If the renewal certificate is not issued within three months, approval shall be deemed to have been accorded, unless communicated otherwise.

(9) Any new bovine bull that meets the standards for semen production shall not be inducted in the sperm station for semen production without the prior approval and necessary certification from the Authority. Death/culling of certified bull shall be informed to the Authority.

(10) The Authority may, after giving the applicant an opportunity of being heard and for reasons to be recorded in writing, refuse to grant or renew the certificate of registration.

(11) The Authority shall send a Committee of experts to inspect a sperm station as and when desired, but at least once in a year, to ensure compliance of the conditions specified in the certificate of registration.

10. Registration of semen banks.—(1) On and from the date of commencement of this Act, no person shall establish and operate a semen bank without obtaining a certificate of registration from the Authority.

(2) The certificate of registration referred to in sub-section (l) shall be issued in such manner and subject to such conditions, as may be prescribed.

11. Certification of bulls.—(1) On and from the date of commencement of this Act, no new sperm station shall carry out semen production from any bovine bull other than those certified by the Authority.

(2) The bulls shall be certified by the Authority in such manner and subject to such conditions, as may be specified by the Government.

(3) The Authority shall generate a Unique Identification Number for each certified bull and it shall be mandatory for the sperm stations to tag this Unique Identification Number securely and permanently to the certified bulls at all times.

12. Certification of trained artificial insemination workers.—The trained artificial insemination workers shall be certified by the Authority in such manner and subject to such conditions, as may be specified by the Government.

13. Regulation of sale of semen.—(1) None shall sell or distribute or gift or transfer the semen/embryo to any person other than a person, as may be authorized by the Authority.

(2) No semen/embryo produced outside the State of Himachal Pradesh shall be allowed into the State of Himachal Pradesh to be sold, distributed or gifted for artificial insemination/transfer, except with the prior approval of the Authority, to be granted in such manner and subject to such conditions, as may be prescribed.

(3) No semen/embryo shall be imported for artificial insemination/ transfer in to the State of Himachal Pradesh from any other country, except with the prior approval of the Authority, to be granted in such manner and subject to such conditions, as may be prescribed.

14. Issue of duplicate registration certificate.—In case a certificate of registration or a certificate of renewal issued under this Act is defaced, lost or destroyed, the Authority, may, upon satisfaction, grant a duplicate certificate to the applicant on payment of such fee, as may be prescribed.

15. Revocation of certificate of registration.—If the Authority is satisfied, either on a reference made to it in this behalf or on the basis of inquiry report of a Committee of experts constituted by the Authority or otherwise that,—

(a) the certificate of registration granted by it under this Act to a sperm station has been obtained by misrepresentation of facts or fraud; or

(b) the holder of the certificate of registration has, without reasonable cause, failed to comply with the terms and conditions subject to which the certificate had been granted or has contravened any of the provisions of this Act or has not complied with such conditions, as may be prescribed;

then, without prejudice to any other proceedings to which the holder of the certificate may be liable under this Act, the Authority, may, after giving the holder of the certificate of registration an opportunity to show cause,—

(i) revoke the certificate of registration or renewal thereof and shall take such steps against such person, as may be prescribed; or

(ii) suspend the certificate of registration or renewal till the holder of the certificate complies with all the required conditions to the satisfaction of the Authority; or

(iii) take an undertaking from the holder of the certificate of registration, to comply with the provisions of this Act.

16. Appeal.—(1) Any person aggrieved by an order of the Authority refusing to grant or renew a certificate of registration or revoking or suspending the certificate of registration under the

provisions of this Act, may file an appeal before the Appellate Authority, who shall be the Administrative Secretary of the Department of Animal Husbandry, Himachal Pradesh.

(2) The Appellate Authority, after giving a reasonable opportunity of being heard to the applicant, shall decide the appeal, as expeditiously as possible, but within three months from the date of receipt of the appeal.

CHAPTER -IV
POWERS OF THE AUTHORITY

17. Power to inspect, search and seizure.—(1) The Authority or members of the Committee of experts authorised by it in this behalf, with a view to ensure compliance with the terms and conditions of the certificate of registration or any provisions of this Act, or for the purpose of inspection and inquiry, may,—

(a) enter, inspect and cause or conduct search of any premises in which it has reason to believe that any activity in contravention of the provisions of this Act is going on or there is any contravention of any of the provisions of this Act or rules made there under or the holder of certificate is doing activities in violation of the terms and conditions specified in the certificate of registration issued under this Act; and

(b) collect samples of semen, blood or any other material used in semen production from the premises of any sperm station and have such samples analyzed from a recognized laboratory. All the stock of the semen which is from uncertified bull shall be destroyed immediately and semen processing equipment shall be sealed.

(2) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973(2 of 1974) relating to search and seizure shall, as far as may be, apply to search, seal and seizure under sub-section (1).

18. Maintenance and submission of records.—(1) Every person who holds a certificate of registration under this Act shall maintain such books, accounts and records relating to his business transactions in such form, as may be specified by the Authority in this behalf.

(2) Every person who holds a certificate of registration for a sperm station/semen bank shall submit to the Authority, an annual report, in duplicate, in respect of the sperm station/semen bank in such form, as may be prescribed and with respect to new bulls proposed for certification whose semen is to be put on use in such form, as may be prescribed.

19. Power to give directions.—Notwithstanding anything contained in any other law, but subject to the provisions of this Act, and to any directions that the Government may give in this behalf, the Authority, may in exercise of its powers and performance of its functions under this Act, issue any directions in writing to any person, officer, or authority and such person, officer or authority, as the case may be, shall be bound to comply with such directions. The powers to issue directions under this section shall include the power to direct,—

(a) the closure, prohibition or regulation of any operation, process or activity related to bovine breeding; or

(b) the stoppage or regulation of supply of electricity, water or any other service.

20. Power to make application to Courts for restraining apprehended bovine breeding activities in contravention of this Act.—(1) Where it is apprehended by the Authority, that any person, firm, company or Non-Governmental Organization is engaged in the bovine

breeding services or trading and supply of semen/embryo in contravention of the provisions of this Act or rules made thereunder, the Authority or any officer authorized by it, may file a complaint in the Court of Judicial Magistrate First Class for restraining the said person from carrying out the said activity.

(2) On receipt of an application under sub-section (1), the Court may pass an order restraining any such person, to carry out the said activity or give such directions or pass such order as it may deem fit.

CHAPTER -V
OFFENCES AND PENALTIES

21. Penalties.—(1) Any person who contravenes or violates any provision of this Act or rules made thereunder, shall be punished with a fine of one lakh rupees which can be extended to five lakh rupees or with rigorous imprisonment upto three years, or both.

(2) The fine so imposed, may be recovered from the person concerned, as arrears of land revenue.

22. Cognizance of offences.—(1) No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act, except on a complaint made by the Authority or any officer authorized by it in this behalf.

(2) No Court inferior to that of a Judicial Magistrate of the First Class shall try any offence punishable under this Act.

(3) No prosecution for offences punishable under this Act shall be instituted, except with the prior sanction of an officer authorized in this behalf by the Authority, by notification.

(4) Production, possession, distribution, sale, transfer in any form, import-export or use of unauthorized semen or misbranded or sub-standard semen shall be a cognizable offence under this Act.

CHAPTER-VI
MISCELLANEOUS

23. Report of Recognized Laboratory.—Any document purporting to be a report duly issued by a recognized laboratory may be used as evidence of the facts stated therein in any proceedings under this Act.

24. Local Authorities to assist.—All the local Authorities as may be prescribed shall render such help and assistance and furnish such information to the Authority, as it may require for discharge of its functions and shall make available for inspection and examination such records or documents, as may be necessary.

25. Reports.—The Authority shall furnish to the Government such reports, statistics, and other information with respect to its funds, activities or policies as required by the Government, from time to time.

26. Experts, officers and officials of the Authority to be public servants.—All experts, officers and officials of the Authority, when acting or purporting to act in pursuance of any of the

provisions of this Act and the rules made thereunder shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

27. Bar on jurisdiction.—No civil court shall have any jurisdiction in any matter, in respect of which the Government or any other person or authority is empowered by this Act to take cognizance, and dispose it of and the manner in which the Government or such person or authority may exercise any power, vested in it or him by or under this Act.

28. Protection of action taken in good faith.—No suit or other legal proceedings shall lie against any member, officer or officials, of the Authority in respect of anything which is in good faith and public interest, done or intended to be done in pursuance of this Act or the rules made thereunder.

29. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by an order published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as may appear to be necessary for removing the difficulty.

(2) The Government may issue such guidelines to the Authority as it deems fit for the purpose of implementation of the provisions of this Act.

30. Power to make rules.—(1) The Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, the Government may make such rules, as may provide for any other matter which has to be or may be prescribed.

(3) All the rules made under this Act shall be laid, as soon as may be, after they are so made, before the State Legislative Assembly, while it is in session, for a period of not less than fifteen days, which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the sessions immediately following, the Legislative Assembly makes any modification in any of such rules, or agrees, that any such rules should not be made, the such rules shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Artificial insemination with frozen semen has proved to be the best tool worldwide for genetic improvement through dissemination of superior germ plasm. This objective can be achieved only if the frozen semen used in artificial insemination programme confirms to quality standards. For production and distribution of quality semen, it is most important that sperm stations should be registered so that processing, storage, sale of semen produced within or outside State may be regulated. Bulls of High Genetic Merit as per Minimum Standard Protocol must be used for semen production and trained artificial insemination workers should be engaged in the bovine breeding activities as per Standard Operative Procedures. Breeding Policy must be formulated and implemented as per need of the State.

In view of the above, it is necessary to make a law to regulate the bovine breeding activities in the State of Himachal Pradesh to improve and upgrade the ongoing breeding programme.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

VIRENDER KANWAR,
Minister-in-Charge.

SHIMLA:
THE ……, 2019.

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

Shri Tsewang Namgyal s/o Shri Chering Dorjee, r/o Tibetan Colony Chountra, Tehsil Jogindernagar, District Mandi, H. P. . . Applicant.

Versus

General Public . . Respondent.

Subject.—Application u/s 15 of Registration Act for correction of name.

Shri Tsewang Namgyal s/o Shri Chering Dorjee, r/o Tibetan Colony Chountra, Tehsil Jogindernagar, District Mandi, H. P. ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र गुजार कर अनुरोध किया है कि वह उपरोक्त पते का रहने वाला है। मेरे पिता का वास्तविक नाम Chering Dorjee है। मेरी R.C./R.P. जो विदेशी पंजीकरण अधिकारी कांगड़ा द्वारा जारी की गई है और आधार कार्ड में भी प्रार्थी के पिता का नाम Chering Dorjee दर्ज है, जो सही दर्ज हुआ है परन्तु प्रार्थी के PAN कार्ड में उसके पिता का नाम "Tultrum" दर्ज हुआ है, जो कि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने इस अदालत से यह प्रार्थना की है कि प्रार्थी के पिता का नाम PAN कार्ड में Tultrum के स्थान पर Chering Dorjee पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे में किसी व्यक्ति को उक्त नाम बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18–02–2019 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में असालतन व वकालतन हाजिर होकर पैरवी मुकद्दमा कर सकता है अन्यथा कार्यवाही नियमानुसार एकपक्षीय अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 09–01–2019 का हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है